यू.एस. डिपार्टमेंट
ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
फेडरल एविएशन
एडमिनिस्ट्रेशन

स्क्रीनर (छानबीन करने वाले)
तथा अन्य
सिक्युरिटी अधिकारियों के लिये मार्गदर्शन

पार्ट— 108 एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स तथा पार्ट 129 एयर कैरियर ऑपरेटर्स के सभी नियमित और कॉन्ट्रेक्ट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अन्य सभी सुरक्षा अधिकारियों, जो कि यात्रियों तथा उनकी पहुँच के अन्दर आनेवाली सम्पत्ति की स्क्रीनिंग करते हैं या उसका निरीक्षण करते हैं, के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है (जैसे कि स्क्रीनर्स और स्क्रीनर सुपरवायजर)। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं, जो एयरपोर्ट सुविधाओं पर सिक्युरिटी ड्यूटी के लिये सीधे जिम्मेदार हैं तथा जिनका सम्पर्क यात्रियों से सीधे होता हैं (जैसे कि पैसेन्जर सर्विस पर्सोनेल, लोकल स्टेशन मैनेजर, एयरपोर्ट आपरेटर तथा LEO), परन्तु यह केवल उन तक ही सीमित नहीं है।

पृष्ठभूमि: 11 सितम्बर 2001 की दु:खद घटनाओं के बाद उन लोगों को जो दिखने में अरब, मध्यपूर्व या दक्षिण एशियाई मूल के और/या मुसलमान लगते हैं या वास्तव में इनमें से किसी मूल के हैं, को डराने या तंग करने की घटनाओं पर चिन्ता बढ़ी है। यहाँ यह दोहराना पुन: आवश्यक है कि संवेदनशील ड्यूटी निभाते समय अधिकारी द्वारा ऐसा भरोसा करना गलत होगा कि आम, एक जैसे दिखने या आदतों के कारण, या उनकी आस्था, किसी भी जाति, सभ्यता, धार्मिक या मूल राष्ट्र के होने के कारण किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति अवैधानिक कार्य करने की होगी। विशेष तौर पर एयरपोर्ट और एयर कैरियर के अधिकारियों द्वारा सिखों तथा अरब अमेरिकन लोगों के साथ अनुचित, असंवेदनशील ढंग से जाँच-पड़ताल करने के मामले उभर कर आये हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि यात्रा करने वाली जनता की सुरक्षा के लिये, यू.एस. के कानून के तहत अपनी सुरक्षा कार्यवाहियों में अपनी भूमिका को निभाना और अपनी जनता के नागरिक अधिकारों तथा संविधान की रक्षा करने के हमारे दायित्व के बीच टकराव नहीं होना चाहिये। किसी के साथ जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, धर्म, लिंग या पूर्वजों के आधार पर किसी भी एयर कैरियर या उसके कर्मचारी द्वारा भेदभाव करना फैडरल कानून में अवैधानिक है।

घटनाओं तथा कार्यवाहियों के उदाहरण: किसी भी सुरक्षा या सिक्युरिटी के लिये खतरा बने व्यक्ति या सम्पत्ति को पहचानने में सभी उपलब्ध सच्चाईयों और परिस्थितियों को आधार बनाना आवश्यक है। हालाँकि कार्यवाही कभी-कभी किसी व्यक्ति को तंग करने वाली लगती होगी, परन्तु कुछ परिस्थितियों में सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त सवाल पूछना, जाँच या छानबीन करना नीचे दिये सुरक्षा कारणों की वजह से न्यायसंगत ठहराये जा सकते हैं। सुरक्षा अधिकारी की अपनी कार्यवाहियाँ न्यायसंगत है या नहीं यह तय करने के लिये उसे 'बट/फॉर' (अगर/तो) वाली परीक्षा के ढंग की मदद लेना चाहिये।' अगर इस व्यक्ति की जाति, वंश परंपरा, या धार्मिक झुकाव कुछ और होती, तो क्या मैं इस व्यक्ति को अतिरिक्त सुरक्षा या सिक्युरिटी स्क्रीनिंग के लिए बाध्य करता ? ' यदि इसका उसका उत्तर "ना" में हो तो की जाने वाली कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है तथा नागरिक अधिकारों का उल्लघंन करती है।

घटना नं. 1: मैटल डिटेक्टर से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद भी सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक सिख व्यक्ति को, सबके सामने अपनी पगड़ी हटाने का और उसके केशों को खोल कर निरीक्षण करवाने के लिये आदेश दिया गया।

कार्यवाही: सिख लोग अपनी पगड़ी, जो शरीर के अति निजी और व्यक्तिगत अंग को ढकती है, को ईश्वर के साथ सम्पर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, तथा इसी प्रकार पगड़ी का उतारे जाना एक अति अतिक्रमण वाला अकल्पनीय कार्य माना जाता है। सिख की पगड़ी एक टोपी के समान नहीं होती है, वह कपड़े का एक लम्बा सा टुकड़ा होता है जो कई गज लम्बा होता है, तथा पुन: बाँधने में काफी समय लगता है। सुरक्षा अधिकारी का अनुरोध एकदम आवांछित था क्योंकि व्यक्ति के जाँच में से गुजरने पर मैटल डिटेक्टर का अलार्म नही बजा और दूसरा ऐसा कोई

कारण या समुचित संदेह नहीं था जिसके लिये ऐसी कार्यवाही की जाती। अत: सिख से अपनी पगड़ी को (या इसी प्रकार धार्मिक रूप से आवश्यक, बिना कटे केशों को खोलना) हटाने के लिये कहना जबकि अन्य सभी यात्रियों जिन्होंने मैटल डिटेक्टर को सफलतापूर्वक पार किया, उनमें से किसी से भी जाँच के लिये वस्त्रों को हटाने के लिये न कहा गया हो तो यह असमान व्यवहार है और इसे अवश्य बन्द करना है। यदि सुरक्षा और सिक्युरिटी कारणों से फिर भी जाँच व निरीक्षण आवश्यक हो (जैसे कि सिख व्यक्ति की जाँच में मैटल डिटेक्टर का अलार्म बजता है और हाथ वाले मैटल डिटेक्टर से अतिरिक्त सिक्युरिटी स्क्रीनिंग या हाथ से थपथपा कर की जाने वाली जाँच इस बात को सिद्ध करने में असमर्थ है कि कोई निषिद्ध वस्तु ले जायी जा रही है) तो ऐसे में सिख को एकान्त में या सबके सामने जाँच कराने के बीच चुनाव करने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक छानबीन अपमानजनक तथा नीचा दिखाने जैसी लगती है अथवा व्यक्ति की धार्मिक आस्था का उल्लंघन कर सकती है।

घटना नं. 2: एक स्त्री केवल इसलिये चुनी जाती है क्योंकि उसके बाल ढके हैं या वह बुर्का पहने है या पुरूष केवल इसलिये चुना जाता है क्योंकि उसके लम्बी दाढ़ी है या वह बालों को ढके है।

कार्यवाही: धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव में यह भेदभाव भी सम्मिलित है कि जिसका आधार केवल उस व्यक्ति का पहनावा या दिखावा किसी विशिष्ट राष्ट्रीय मूल या धर्म से जुड़ा हो। इसी प्रकार, चुनाव केवल इसलिये न हो क्योंकि व्यक्ति अरबी, फारसी या अन्य विदेशी भाषा बोल सकता है या केवल इसलिये हो कि उनकी बोलचाल का लहजा किसी को यह विश्वास दिलाये कि वे अरब, मध्य पूर्व, दक्षिण एशियाई और/या मुसलमान हैं। इस कारण ये तरीके नहीं अपनाना चाहिये।

घटना नं. 3: एक बुर्के वाली स्त्री अपनी पहचान के लिये फोटो पहचान पत्र दिखाती है परन्तु स्क्रीनिंग करने वाला यह निश्चित नही कर पाता कि यह स्त्री वही है जो फोटो में है, क्योंकि बुर्का चेहरे का अधिकांश भाग ढके हुये है। उसे एक महिला अधिकारी द्वारा नम्रता से बुर्का उतारने के लिये कहा जाता है तथा उसे एकान्त में अथवा सबके सामने जाँच के बीच चुनाव का मौका दिया जाता है, परन्तु उसे यह अपमान लगता है। वह स्त्री बताती है कि बुर्का हटाना उसके धार्मिक अधिकारों का हनन है।

कार्यवाही: चूँकि व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना उन समान परिस्थितियों में और सभी यात्रियों के लिये सिक्युरिटी की आवश्यकता है तथा चूँकि किसी अन्य प्रकार से सिक्युरिटी की यह आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती अत: वह कार्यवाही न्यायसंगत है। जब भी सम्भव हो बुर्केवाली स्त्री की जाँच-पड़ताल एकान्त में अथवा केवल किसी महिला अधिकारी की उपस्थिति में हो ताकि उसकी धार्मिक मान्यताओं का हनन न हो।

घटना नं. 4: एक रोजमर्रा के स्टॉप पर खतरनाक पदार्थो से भरे ट्रक का ड्रायवर अपने युनायटेड स्टेट्स में जन्म होने की पहचान तो दिखाता है, परन्तु वह अंग्रेजी बिलकुल नहीं बोल पाता है और ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ अरबी आती है।

कार्यवाही: इस घटना में सिक्युरिटी अधिकारी के पास शक का कारण है और उसकी अतिरिक्त जाँच और छानबीन इत्यादि करना न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। (हालाँकि यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि किसी खास लहजे में अंग्रेजी न बोल पाने या अटक-अटक कर अंग्रेजी बोलने को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है)

घटना नं. 5: एक व्यक्ति जो कि पगड़ी या सिर पर कपड़ा बाँधे है, चेक पॉइन्ट पर जाँच के समय उसके सिर के पास मैटल डिटेक्टर अलार्म बजा देता है, और अलार्म का कारण पता करने के लिये दूसरी FAA द्वारा स्वीकार्य ढंग (यानि

हाथ से थपथपा कर की गई जाँच) से पता करने के बाद और अधिक जाँच के लिये व्यक्ति से पगड़ी उतारने को कहा जाता है।

कार्यवाही: चूँकि सभी लोगों की यह स्क्रीनिंग की जाती है और स्क्रीनरों के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक अलार्म का समाधान उनकी सन्तुष्टि के हद तक होना चाहिये, उसके बाद ही व्यक्ति को सुरक्षित क्षेत्र में जाने दें। सिक्युरिटी अधिकारी द्वारा नम्रता से पगड़ी उतारने का अनुरोध करना जब कि व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार हो रहा है तथा उसे अकेले में या सबके सामने जाँच कराने के बीच चुनाव का अवसर दिया जा रहा है तो वह कार्यवाही न्यायसंगत होगी। सिक्युरिटी अधिकारी आम जनता को दिखायी न देने वाले स्थान में या एकान्त स्थान में उस व्यक्ति को पगड़ी बाँधने का अवसर देगा। यदि सम्भव हो तो, शीशा भी दिया जायेगा।

घटना नं. 6: एक सिख व्यक्ति को परंपरागत रूप से रखी जाने वाली तलवार या *कृपाण* के साथ पाया जाता है और सिक्युरिटी अधिकारी द्वारा उसे सम्मानपूर्वक बताया जाता है कि FAA के नियम किन्ही भी धारदार वस्तुओं या चाकू को विमान में साथ ले जाने से निषिद्ध करता है और अधिकारी बताता है कि उसे अपने चेक किये बैगेज में कृपाण रखने की इजाजत है।

कार्यवाही: सिक्युरिटी अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उचित है। कवच के साथ परंपरा के रूप में सिखों द्वारा पहने जाने वाली तलवार जो *कृपाण* के रूप में जानी जाती है, धार्मिक विश्वास की अनिवार्य वस्तु है। कृपाण प्राय: दो से चार इंच लम्बी होती है। यदि कृपाण को चेक किये हुये बैगेज में नहीं रखा जा सकता है अथवा उनके समूह में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कृपाण को एयरपोर्ट के बाहर नहीं ले जाया जा सकता हो जो सुरक्षित क्षेत्र में नही जा रहा है, तो कृपाण को अवश्य ही जब्त करना चाहिये। (नोट: छोटी कृपाण को नेकलेस के समान गले में पहना जा सकता है । चाहे उसे शरीर के किसी भी अंग पर क्यों न पहना जाए पर यदि वह चाकू के समान दिखाई देती हो, जैसे कि उसमें धारदार ब्लेड है तो उसे चेक किये बैगेज में रखा जा सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग पॉइन्ट के आगे कृपाण को नहीं ले जाया जा सकता)। जब तक उसे वापस नहीं लिया जाता तब तक कृपाण को सिक्युरिटी अधिकारियों द्वारा उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिये। अधिकांश सिख अब FAA की उस आवश्यकता से अवगत है कि वायुयान में चाकू और धारदार हथियारों को चेक किये हुये सामान के अन्दर रख कर ले जाया जा सकता है परन्तु साथ में नहीं।